न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

प्रार्थना प0ः—139/2025/39 (2) (ए) दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908(2025/139)

1. श्री रामनिवास यादव पुत्र श्री भागीरथ, जाति यादव, निवासी म0नं0 29, रघुकूल स्कूल के पास, आदर्शनगर, अजमेर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री हेमन्त शेखर पुत्र श्री मनमोहन शेखर, जाति बैरवा, निवासी 3816, गोदाममंण्डी, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।
2. महेशचंद कंसल पुत्र श्री ताराचंद कंसल, जाति अग्रवाल, निवासी 3080, पलसानिया रोड, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम (2) (ए) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908.

उपस्थितः—

1. श्री मौहम्मद इकबाल, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ईश्वर देवडा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—23.12.2025

1. यह प्रार्थना पत्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 88/2025 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण संख्या 88/2025 रामनिवास बनाम हेमंत शेखर राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा वाद संख्या 08/2025 में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2025 की क्रियान्विति को स्थगित किया गया। अतः प्रार्थना पत्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 88/2025 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2025 की पालना अप्रार्थी द्वारा नहीं किए जाने से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया है।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस/प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अपीलांट ने एक नियमित राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष अंतर्गत धारा 188 एवं 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 111 व 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया। अपीलांट की

खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात ग्राम बारां पत्थर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर में अवस्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 1848/1845 रकबा 0.0146 है0 एवं खसरा नम्बर 1849/1845 रकबा 0.5469 है0 है, उपरोक्त आराजीयात अपीलांट की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है। वाद पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी के अनुसार पूर्ण रूप से स्पष्ट है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का उपरोक्त आराजीयात से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है, जिससे रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जायें और अपीलान्ट की खातेदारी पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करें, के बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें साथ ही अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की खातेदारी के खेतों का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी भी की जावें। उपरोक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किए गए, रेस्पोडेंट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दर्ज करवाई गई, जिसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 20.01.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. प्रस्तुत किया और वाद पत्र में चाही गई दादरसी के अनुसार खसरा नम्बर 1887/1886 व खसरा नम्बर 444 के खातेदारान् को पक्षकारान् नहीं बनाए जाने का आधार लेकर वाद पत्र को निरस्त किए जाने की इस्तदुआ की, उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान् की बहस सुने जाने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वादी का वाद पत्र आदेश दिनांक 07.01.2025 के द्वारा आंशिक रूप से खारिज कर दिया गया, जिससे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2025 से व्यथित होकर उपरोक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें न्यायालय के द्वारा दिनांक 05.02.2025 को स्थगन आदेश जारी करते हुए विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने तथा निर्माण कार्य करने से उभय पक्षकारान् को पाबन्द किया गया है। न्यायालय के द्वारा जारी आदेश स्थगन आदेश दिनांक 05.02.2025 की प्रमाणित प्रति के साथ प्रार्थना पत्र दिनांक 07.02.2025 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद एवं तहसीलदार नसीराबाद को पत्र प्रस्तुत किया और स्थगन आदेश की पालना कराने का निवेदन किया। जिस पर दिनांक 18.02.2025 को तहसीलदार नसीराबाद के आदेश की पालना में हल्का पटवारी के द्वारा मौके पर उभय पक्षकारान् को पाबन्द किया गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा राजस्व अधिकारी के द्वारा पाबन्द किए जाने के बावजूद मौके पर निर्माण कार्य नहीं रोका गया, जिस पर दिनांक 28.02.2025 को प्रार्थी ने पुलिस थाना नसीराबाद (सदर) के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्माण कार्य रोकने को कहा तो थाना अधिकारी ने न्यायालय से पत्र जारी करने बाबत् कथन कहकर अपना पल्ला झाड लिया, जिसका लाभ उठाकर अप्रार्थीगण के द्वारा नियमित रूप से न्यायालय के स्थगन आदेश की जानकारी होने के बावजूद निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना होना साबित है, जिससे अप्रार्थीगण दण्ड के भागी है। न्यायालय के समक्ष बरवक्त प्रस्तुत किए जाने अपील अपीलान्ट के द्वारा फोटोग्राफ दिनांक 05.02.2025 को पेश किए गए थे, जिसके पश्चात् अप्रार्थीगण के द्वारा नियमित रूप से निर्माण कार्य करते हुए बहुत अधिक निर्माण किया जा चुका है जो कि दिनप्रतिदिन के फोटोग्राफ जो अवमानना प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किए जा रहे है, से सिद्ध है और न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना होना भी साबित है, जिससे अप्रार्थीगण दण्ड के भागी है। अतः न्यायालय से

अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कन्टेम्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 05.02.2025 की अवमानना कारित करने का दोषी अप्रार्थीगण को ठहराते हुए तीन माह के दण्ड से दण्डित करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि न्यायालय द्वारा किए गए आदेश दिनांक 05.02.2025 की अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की अवमानना नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहे गए कथन झूठे है उनको सत्यापित करने के लिए प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या कोई प्रमाण हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत हो की न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। सभी खातेदार काश्तकार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.02.2025 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 05.02.2025 को पारित किए जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.01.2025 की क्रियान्विति को आगामी पेशी तक स्थगित किया जाकर निर्णय में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत उभयपक्षों को निर्माण नहीं करने हेतु पाबंद किए जाने के आदेश पारित किए गए। न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की पालना अप्रार्थी द्वारा नहीं किए जाने से प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम (2) (ए) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 का प्रस्तुत किया।

उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा कहे गए कथन व न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2025 की अप्रार्थी द्वारा किस प्रकार से अवहेलना की गई है। इस बाबत हाजा न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश की पालना हेतु थानाधिकारी, नसीराबाद को पत्र जारी कर न्यायालय हाजा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2025 की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु पत्र लिखा गया। प्रार्थी द्वारा भी उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद को उक्त आदेश की पालना करवाने हेतु पत्र लिखा गया था तथा पटवारी हल्का व एस0आई0 द्वारा दिनांक 18.02.2025 को उक्त आराजीयात का मौका पर्चा तैयार किया गया तथा उनके द्वारा भी उक्त मौका पर्चा में यह नहीं बताया गया कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2025 की अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से अवहेलना की जा रही है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट में कहे गए कथन से व प्रस्तुत दस्तावेजात से किसी भी प्रकार यह दृष्टिगत नहीं होता है कि अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना की गई हो। चूंकि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता हो की अप्रार्थी द्वारा किस प्रकार से राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बाबत परिवर्तन कर हाजा

न्यायालय के आदेश दिनांक 05.02.2025 की अवहेलना की गई हो। अतः प्रार्थी द्वारा कहे गए कथन मौखिक है जिसमें किसी प्रकार की प्रमाणिकता नहीं पाई जाती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम (2) (ए) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 खारिज किए जाने योग्य है।

6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम (2) (ए) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर